

नम्बर
अहक
हुकम
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- /20/76/2020 ज्ञा फ्र

श्री किशन लाल ज्ञा सुवालाल रंगर ज्ञा डेलास - वर्गरेडा
--प्रार्थी।

बनाम

1-श्री सलमनाराम ज्ञा गिरचारी चकण ज्ञा डेलास - वर्गरेडा
--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय :: दिनांक: 24/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरी भू0अ0नि0 क्षेत्र जिला-भीलवाडा उनके खाता संख्या 19 की आ0नं0 85 86 88 89 जिला जिला-4 रकबा-5.05 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य राजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/6/20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की ग्रा-फैरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरी भू0अ0नि0 क्षेत्र जिला-भीलवाडा उनके खाता संख्या 19 की आ0नं0 85 86 88 89 जिला जिला-4 रकबा-5.05 स्थित है।

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि.0 6.50/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।
सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड उपसिद्धा अधिकारी
सहायक करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड उपसिद्धा अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा